### दिल्ली विधान सभा तमाचार भाग-2

१ विधान सभा तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १ बुधवार, 31 मई, 19995 / ज्येष्ठ 10, 1917 १्राक्रि

संख्या. 188

# सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान तथा को तम्बोधित अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक २५. ५. ९५ की निम्नलिखित ससूचना २९ मई, १९९५ को प्राप्त हुई थी:-

" मुझे आपको तसम्मान तूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय तदस्य श्री शोएब इकबाल को उनके अन्य सहयोगियों सहित आज अर्थात २४. ५. १५ को अपराइन 1. २५ बजे पुलिस थाना, संसद पार्ग, नई दिल्ली ते पुलिस के कानूनी निर्देशों की अवहेलना करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्द कर दिया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात २४. ५. १५ को अपराह्न १. ३८ बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

> पी. एन. गुप्ता सचिव

# DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

#### BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)
Wednesday, May 31, 1995/Jyestha 10, 1917 (Saka)

No. 183

#### - DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 24.5.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Addl. Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 29th May, 1995:-

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi at 1.25 P.M. today i.e. 24.5.95.

He was released at 1.38 P.M. from Police Station, Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 24.5.95."

> P.N. GUPTA SECRETARY